

प्रार्थी श्री श्रीगणेश
कस्म मुकदमा ७१/०६/२५

बनाम

विपक्षी श्री भागवान
प्रकरण संख्या ५०/२०२२

कार्यवाही विवरण

19/06/24

पत्रा. पेश हुई। वकील उमयपद्म उप. वकील प्रार्थी ने राजीनामे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथित किया कि प्रार्थी एवं विपक्षी भागवान एवं मंगा लीला संगे आई है जिस कारण आपस में मिलापट कर आपस में राजीनामा किया है कि प्रार्थना-पत्र में वर्णित रास्ता जो 10-12 फीट चौड़ा है वह विद्यमान रहेगा तथा इस रास्ते को लेकर हम दोनों पक्षों में आविष्य में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहेगा। एवं सभी पक्ष इस रास्ते का उपयोग कर सकेंगे जिसमें किसी पक्ष को कोई इजर एतराज नहीं रहेगा।

हमने राजीनामे पर उमयपद्म को सुना एवं अवलोकन किया। राजीनामे पर प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1, 2 के हस्ताक्षर किये हैं तथा जिसमें पक्षकारों की पहचान वकील प्रार्थी द्वारा की गई है। राजीनामे अनुसार प्रार्थी को रास्ते के सम्बन्धित कोई समस्या रोच नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आपस में पक्षकारों के मध्य राजीनामा हो जाने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली कैबल शुभार होकर दाखिल
दफ्तर हो।

निर्णय शुभे न्यायालय में सुनाया गया। N

यक कलक्टर सलुम्बर
जिला सलुम्बर